IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
29 जुलाई 2024

प्लास्टिक का झमेला : भारत की कचरे की समस्या

द हिन्दू
पेपर- III (पर्यावरण)

अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत भी प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक, सालाना 40 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। बदकिस्मती से, इस कचरे का सिर्फ एक चौथाई हिस्से का ही पुनर्चक्रण (रीसाइकिल) या शोधन (ट्रीटमेंट) किया जाता है, बाकी कचरा भराव क्षेत्र (लैंडफिल) में यूं ही पड़ा रहता है या अनिश्चित तरीके से निपटाया जाता है। वर्ष 2016 से, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि प्लास्टिक के उपयोगकर्ता अपने कचरे को इकट्ठा करने और उनका पुनर्चक्रण करने (रीसाइक्लिंग) के लिए जिम्मेदार होंगे। ये शर्तें, या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियम, शुरू में स्वैच्छिक थे लेकिन अब इन्हें ऑनलाइन ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाता है। ईपीआर प्रणाली में सामान पैक करने वालों (पैकेजर), आयातकों और प्लास्टिक पैकेजिंग के बड़े औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ पेशेवर पुनर्चक्रणकर्ता (रीसाइक्लर) भी शामिल हैं, जिनका पंजीकरण सीपीसीबी में किया जाता है। पुनर्चक्रणकर्ता, जिनके पास प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का नेटवर्क होता है, कचरे का पुनर्चक्रण करते हैं और प्रत्येक टन के पुनर्चक्रण के लिए मान्य प्रमाणपत्र हासिल करते हैं। इन प्रमाणपत्रों को एक समर्पित सीपीसीबी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है और इन्हें उन प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है जो अपने सालाना पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। वर्ष 2022-23 में, सीपीसीबी ने यह अनुमान लगाया था कि लगभग 3.7 मिलियन टन पुनर्चक्रित प्लास्टिक के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। हालांकि, यह पाया गया कि इनमें से सभी प्रमाणपत्र वैध नहीं थे - लगभग 6,00,000 फर्जी प्रमाणपत्र थे। इसके अलावा, हैकरों ने कथित तौर पर पिछले साल कई हजार प्रमाणपत्र चुराए और उन्हें विभिन्न कंपनियों को बेच दिया। इस संबंध में एक आपराधिक जांच जारी है और यह स्पष्ट नहीं है कि दावा किए गए 3.7 मिलियन टन कचरे में से वाकई कितने का पुनर्चक्रण किया गया।

इसके जवाब में, सीपीसीबी ने दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। सबसे पहले, इसने उन लगभग 800 फर्मों का लेखा-जोखा (ऑडिट) शुरू किया जो 2,300 पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं में से लगभग एक चौथाई हिस्सा थे और जिन्होंने प्रमाणपत्रों का व्यापार किया था। दूसरा, इसने ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा संबंधी प्रावधानों में व्यापक बदलाव किया। हालांकि, इससे 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में कई महीनों की देरी हुई है। सीपीसीबी ने इन समस्याओं को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू करने से जुड़े "शुरुआती समस्याओं" के रूप में निरूपित किया है। यों तो इस किस्म का लेखा-जोखा जरूरी है, लेकिन सालाना और लंबी जांच के चलते इस प्रणाली में भरोसा कम होने से बचने के लिए यह एक बार की कवायद होनी चाहिए। भले ही सीपीसीबी को भारी जुर्माना

Threat of plastic waste in India
Source: OECD

लगाने का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और कानूनी चुनौतियों से भरी है। प्लास्टिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए बाजार-संचालित दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण लेकिन सीमित प्रभाव होता है। लिहाजा प्लास्टिक उत्पादन पर अंकुश लगाने और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े प्रयास किए जाने चाहिए। प्लास्टिक कचरे के मूल कारणों का पता लगाना और पुनर्चक्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भारत की प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिहाज से अहम है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी):

- यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितम्बर 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है।
- इसके अलावा, सीपीसीबी को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए।
- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओ. ईएफसीसी) को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, तथा जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।

सीपीसीबी के प्रमुख कार्य:

- जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना
- देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना।

सीपीसीबी की मानकीकरण गतिविधि:

- सीपीसीबी राज्य सरकारों के परामर्श से नदियों या कुओं के लिए मानक निर्धारित करता है, तथा वायु की गुणवत्ता के लिए भी मानक निर्धारित करता है।
- सीपीसीबी सीवेज और व्यापारिक अपशिष्टों के उपचार और निपटान के साथ-साथ स्टैक गैस सफाई उपकरणों, स्टैक और नलिकाओं से संबंधित मैनुअल, कोड और दिशानिर्देश भी तैयार करता है।

सामान्यतः, सीपीसीबी द्वारा मानकों की निम्नलिखित नौ श्रेणियां विकसित की जाती हैं:

1. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता
2. विभिन्न स्रोतों से जल गुणवत्ता मानदंड
3. विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक (पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के तहत जारी)
4. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मीकरण द्वारा उपचार और निपटान के मानक
5. सामान्य खतरनाक अपशिष्टों को भस्मीकरण द्वारा निपटाने के लिए दिशानिर्देश
6. वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदंड
7. ऑटो ईंधन की गुणवत्ता
8. डीजल इंजन के लिए उत्सर्जन मानक, शोर सीमा
9. एलपीजी और सीएनजी जनरेटर सेट की उत्सर्जन और शोर सीमा

उपरोक्त के अलावा, व्यापक उद्योग दस्तावेज श्रृंखला (COINDS) के तहत, CPCB विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए उनके अपशिष्ट निर्वहन (जल प्रदूषक), उत्सर्जन (वायु प्रदूषक), ध्वनि स्तर और ठोस अपशिष्ट के संबंध में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक (MINAS) भी तैयार करता है। इन मानकों को राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मानकों के रूप में अपनाना आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, सालाना चार मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है।
2. 2016 से, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार प्लास्टिक के उपयोगकर्ता अपने कचरे को इकट्ठा करने और रिसाइकिल करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to plastic waste in India-

1. According to the 2020-21 report of the Central Pollution Control Board, four million tonnes of plastic waste is generated annually
2. Since 2016, users of plastics are responsible for collecting and recycling their waste as per plastic waste management rules.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: भारत में प्लास्टिक की अपशिष्ट की समस्या की गंभीरता को दर्शाते हुए इसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में प्लास्टिक की अपशिष्ट की समस्या की गंभीरता को आंकड़ों की सहायता से दर्शाएं।
- दूसरे भाग में इसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों के पक्ष विपक्ष की चर्चा कीजिए।
- अंत में आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।